

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली

बजट 2012-13 की मुख्य विशिष्टताएँ

अर्थव्यवस्था

- केन्द्रीय बजट 2012-13 में आगामी राजकोषीय वर्ष में प्रभावी ढंग से ध्यान देने के लिए संवृद्धि, विनियोग, आपूर्ति गतिरोध, अभिशासन (गवर्नेन्स) और कुपोषणता की समाप्ति से सम्बन्धित पांच उद्देश्यों को अभिनिर्धारित किया है। यह सुधारवादी बजट के बजाय एक यथास्थिति बजट है।
- वर्ष 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 7.6 प्रतिशत (± 0.25 प्रतिशत) होगी।
- सकल कर-प्राप्तियां Rs. 10,77,612 करोड़ होने का अनुमान है।
- केन्द्र को शुद्ध कर Rs. 7,71,071 करोड़ अनुमानित किया गया है।
- गैर कर आगम प्राप्तियां Rs. 1,64,614 करोड़ अनुमानित की गई हैं।
- ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां Rs. 41,650 करोड़ हो जाने का अनुमान है।
- सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में पूंजीगत व्ययों के लिए विनिवेश प्राप्तियों के प्रयोग की अस्थायी व्यवस्था को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है।
- 2012-13 के लिए कुल व्यय की बजट व्यवस्था Rs. 14,90,925 करोड़ है।
- वित्त विधेयक के एक भाग के रूप में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। “प्रभावी आगम घाटा” और “मध्यम अवधि व्यय रूपरेखा (फ्रेमवर्क)” की नवीन संकल्पनाएं अपनाई गई हैं।
- केन्द्रीय उपादान को सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत के अन्तर्गत रखा जाएगा, अगले तीन वर्षों में इसे और घटाकर सकल घरेलू उत्पाद के 1.75 प्रतिशत तक लाया जाएगा।
- बारहवीं योजना में अवसंरचना में विनियोग Rs. 50,00,000 करोड़ तक पहुंचेगा, जिसमें से आधा निजी क्षेत्र से आने की सम्भावना है।
- संसद के चालू सत्र में काले धन पर श्वेतपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। कर-प्रस्ताव प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) और वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की दिशा में बढ़ने की ओर महत्वपूर्ण प्रगति है।
- कुल व्ययों की बजटीय व्यवस्था Rs. 14,90,925 करोड़ है, आयोजना व्यय Rs. 5,21,025 करोड़ – 2011-12 के बजट से 18 प्रतिशत अधिक, आयोजना-भिन्न व्यय Rs. 9,69,900 करोड़।
- राजकोषीय घाटा 2011-12 के 5.9 प्रतिशत के संशोधित अनुमानों के विपरीत सकल घरेलू उत्पाद के 5.1 प्रतिशत लक्षित किया गया है।
- केन्द्रीय सरकार के ऋण 13वें वित्त आयोग के 50.5 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 45.5 प्रतिशत है।
- मध्यमकालीन व्यय रूपरेखा (फ्रेमवर्क) विवरण अपनाया जाएगा जो व्यय संकेतकों के लिए तीनवर्षीय चल लक्ष्य निर्धारित करेगा।
- चालू खाता घाटा 3.6 प्रतिशत होने की सम्भावना है।

- 2012-13 में घाटे की वित्त-व्यवस्था के लिए आवश्यक शुद्ध बाजारीय उधार की आवश्यकता Rs. 4.79 लाख करोड़ होगी।
- 2012-13 में प्रभावी आगम घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत होगा।
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011, बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 और बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 में सरकारी संशोधनों को चालू सत्र में लाया जाएगा।
- सुरक्षा सेवाओं को Rs. 1,93,407 करोड़ प्राप्त होंगे।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

I. कर-बचाव रोधक उपाय

- आक्रामक कर नियोजन को रोकने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में सामान्य कर-बचाव रोधक नियम (जीएएआर) शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। इससे पूर्व प्रत्यक्ष कर संहिता बिल, 2010 में सामान्य कर-बचाव नियमों को लागू करने का प्रस्ताव किया गया था।
- निर्धारित सीमा से अधिक विशिष्ट घरेलू व्यवहारों के सम्बन्ध में हस्तान्तरण मूल्य प्रावधानों को लागू करने का प्रस्ताव है।
- तट से बाहर (विदेशी) व्यवहारों से, जहां अन्तर्निहित सम्पत्तियां भारत में स्थित हैं, से कर-लाभों पर न्यायिक निर्णयों के सन्दर्भ में धारा 9 और 195 का स्पष्टीकरण।
- निवासियों द्वारा विदेशों में रखी गई सम्पत्तियों के मामले में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट किए जाने की आवश्यकता को लागू करना।
- धारा 90 या 90A के अन्तर्गत दोहरे कराधान बचाव समझौते के लाभ का दावा करने की स्थिति में करदाता द्वारा कर-निवास प्रमाणपत्र जमा करना। यह एक आवश्यक शर्त है लेकिन दोहरे कराधान के लाभों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है।

II. गैर-लेखित धन के सृजन और प्रयोग के रोकने के उपाय

- निवासी अंशधारकों से प्राप्त अंशपूँजी और अंश प्रब्याज को अपने खातों में जमा करने वाली एकाधिकारी कम्पनियों का यह अतिरिक्त उत्तरदायित्व है कि वे जमा राशि का स्रोत स्पष्ट करें अन्यथा कम्पनी पर धारा 68 के प्रावधान लागू होंगे।
- जहां पर अंशों के निर्गमन से प्राप्त प्रतिफल अंशों के अंकित मूल्य से अधिक हो तो अंशों के उचित बाजार मूल्य से अधिक प्राप्त प्रतिफल एकाधिकारी कम्पनी की आय मानी जाएगी।
- अस्पष्टीकृत धन, विनियोग, रोकड़ जमा पर आधारभूत छूट या व्ययों की छूट दिए बिना 30 प्रतिशत की उच्चतम सीमान्त दर पर कराधान।
- रोकड़ में आभूषणों की बिक्री के सम्बन्ध में इसके अन्तिम प्रयोग को ध्यान में रखे बिना विक्रेता द्वारा स्रोत पर कर-संग्रहण, जहां मूल्य 2 लाख रुपए से अधिक हो और व्यापारिक उद्देश्य के लिए प्रयोग होने वाले खनिज, जैसे-कोयला, लौह-अयस्क और लिग्नाईट के विक्रय पर स्रोत पर कर-संग्रहण।
- निवासी द्वारा भारत के बाहर किसी सम्पत्ति (किसी भी अस्तित्व में वित्तीय हित सहित) को रखने पर आय रिटर्न को जमा करने की अनिवार्यता भले ही उसकी कर-योग्य आय न हो।
- ऐसे व्यक्तियों की दशा में पुनः कर-निर्धारण के लिए 16 वर्ष तक की अवधि का विस्तार जिनकी भारत के बाहर स्थित ऐसी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कर-निर्धारण छूट गया है।
- तलाशी के दौरान पाई गई अस्पष्टीकृत आयों और तलाशी के दौरान ही स्वीकृत कर लेने पर 10 प्रतिशत की पैनल्टी लगेगी और रिटर्न फाईल करने की अवस्था में स्वीकार किए जाने पर 20 प्रतिशत की दर से पैनल्टी लगेगी। अन्य मामलों में गैर-घोषित आय पर 30 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य पैनल्टी होगी।

- विशेष न्यायालयों की स्थापना, अपराधों के लिए बुलाकर परीक्षण करने का प्रयोग और सरकारी अभियोक्ता की नियुक्ति के प्रावधानों की व्यवस्था करके अभियोजन तन्त्र को सुदृढ़ किया गया है।

III. हस्तान्तरण मूल्य प्रावधान

- अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों के आर्म्स लैंग्थ मूल्य को निर्धारण करने के लिए अग्रिम मूल्य निर्धारण करारों को लागू करना।
- करदाता द्वारा रिपोर्ट न किए गए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों के परीक्षण के लिए हस्तान्तरण मूल्य अधिकारी को अधिकार।
- घरेलू सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा किए गए विशिष्ट व्यवहारों पर हस्तान्तरण मूल्य नियन्त्रणों को लागू करना, जहां ऐसे व्यवहारों की कुल राशि वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपए की मौद्रिक सीमा से अधिक हो।
- गैर-निगम करदाताओं की दशा में, जिन्हें 92E के अन्तर्गत हस्तान्तरण मूल्य रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है, आय को रिटर्न फाइल करने की तिथि कर-निर्धारण वर्ष में 30 नवम्बर तक बढ़ा दी गई है। ऐसे सभी मामलों में, निगम एवं गैर-निगम दोनों, कर अंकेक्षण रिपोर्ट जमा करने की अन्तिम तिथि भी कर-निर्धारण वर्ष में 30 नवम्बर है।
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की परिभाषा को उसमें शामिल 'अदृश्य सम्पत्ति' और व्यावसायिक पुनःसंरचना या पुनःसंगठन के क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए अधिक स्पष्ट किया गया है जो एक उपक्रम द्वारा सहयोगी उपक्रम के साथ किया गया हो भले ही ऐसे व्यवहार के समय या किसी भावी तिथि पर इसका ऐसे उपक्रमों के लाभ, आय, हानि या सम्पत्तियों पर कोई प्रभाव हो या नहीं।
- विवाद समाधान पैनल से सम्बन्धित संशोधन जैसे इसके निर्देशों और विचलनों में वृद्धि के इसके अधिकारों के विरुद्ध अपील को समामेलित करने का प्रस्ताव है।

IV. व्यवसाय कराधान

- कम्पनियों को छोड़कर लाभ सम्बन्धित कटौतियों का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों पर वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) का विस्तार। तथापि यदि व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संघ, बीओआई और कृत्रिम वैधानिक व्यक्तियों की समायोजित कुल आय 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होती तो वैकल्पिक न्यूनतम कर के आरोपण के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- लेखों के अनिवार्य कर अंकेक्षण तथा उनके अनुमानित कराधान के लिए टर्नओवर की सीमा को 60 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।
- कृषि विस्तार परियोजना परिव्यय और दक्षता विकास परियोजना परिव्यय पर 150 प्रतिशत भारित कटौती का प्रावधान।
- विनियोग सम्बन्धित कर-कटौतियों की अर्हता के लिए विशिष्ट व्यवसायों की परिभाषा के क्षेत्र में विस्तार जिसमें आन्तरिक कन्टेनर डिपो या कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, मधुमक्खी पालन और चीनी के भण्डारण के लिए भण्डारगृह सुविधाओं की स्थापना और परिचालन को शामिल किया गया है।
- कुछ विशिष्ट व्यवसायों, जैसे-कोल्ड चेन सुविधा की स्थापना एवं परिचालन, कृषि उत्पादों के भण्डारण के लिए भण्डारगृह सुविधाओं की स्थापना के लिए भारित विनियोग सम्बन्धित कर-कटौती का प्रावधान।

- ऊर्जा क्षेत्र के लिए कर-अवकाश हेतु सनसेट तिथि का एक वर्ष के लिए और विस्तार।
- वर्ष में प्राप्त और स्थापित नवीन मशीन या संयंत्र की वास्तविक लागत पर 20 प्रतिशत के प्रारम्भिक ह्रास का लाभ ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को भी उपलब्ध।
- इन-हाऊस वैज्ञानिक शोध एवं विकास के लिए भारित कटौती का 5 वर्षों के लिए और विस्तार।
- कुछ भुगतानों के सम्बन्ध में उद्गम स्थान पर कर-कटौती न करने पर धारा 40(a)(ia) के अन्तर्गत अस्वीकृति न होना जहां भुगतानकर्ता द्वारा कर के भुगतान के कारण करदाता धारा 201(1) के अन्तर्गत त्रुटि पर नहीं माना जाता।
- अनुमानित आधार पर जहाजी कम्पनियों की दैनिक टनेज आय की गणना की वृद्धि का प्रस्ताव।
- बैंकिंग बीमा कम्पनियों इत्यादि की दशा में, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के अनुसार खाते नहीं रखती हैं, न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाने के लिए पुस्तकीय लाभ की गणना हेतु सम्बन्धित कानूनों के अनुसार शुद्ध लाभ को मानना। इसके साथ ही भाग III के सन्दर्भ को हटाने का प्रस्ताव क्योंकि संशोधित अनुसूची VI में भाग III नहीं है।

V. वैयक्तिक कराधान

- वैयक्तिक आयकर दरों का युक्तिकरण। आधारित छूट सीमा पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों के लिए बढ़ाकर 2 लाख रुपए करना और इस प्रकार लैंगिक भेद को समाप्त करना। 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से करारोपण।
- बचत बैंक खातों की ब्याज पर 10,000 रुपए तक की कटौती।
- निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए 5,000 रुपए तक की अतिरिक्त कटौती।
- व्यावसायिक आय न रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए अग्रिम कर के भुगतान से मुक्ति।
- स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, विशिष्ट बीमारियों के लिए चिकित्सा उपचार के लिए उच्च कटौती प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की आयु को ऊंची आधारिक छूट-सीमा प्राप्त करने के अनुकूल घटाकर 60 वर्ष करना।

VI. पूंजीलाभ

- आवासीय सम्पत्ति के विक्रय पर पूंजीलाभ कर से मुक्ति, यदि विक्रय प्रतिफल का प्रयोग नए संयंत्र और मशीनरी को क्रय करने के लिए निर्माणी लघु या मध्यम उपक्रम कम्पनी की समता पूंजी में किया जाता है।
- समता अंशों या समता उन्मुख कोषों के यूनिटों के सुपुर्दगी आधारित क्रय-विक्रय पर प्रतिभूति व्यवहार कर में 20 प्रतिशत की कटौती।
- कृषि-भूमि के हस्तान्तरण और नवीन कृषि-भूमि के क्रय के सम्बन्ध में धारा 54B में छूट का लाभ हिन्दू अविभाजित परिवार को भी मिलेगा।

VII. स्रोत पर कर-कटौती के प्रावधान

- कुछ गैर-चल सम्पत्तियों (कृषि-भूमि के अतिरिक्त) के हस्तान्तरण पर 1 प्रतिशत की दर से टीडीएस यदि प्रतिफल निर्धारित सीमा से अधिक हो।
- संचालक के पारिश्रमिक, जो वेतन की प्रकृति का नहीं है, पर 10 प्रतिशत टीडीएस।
- अनिवार्य अधिग्रहण पर क्षतिपूर्ति या प्रतिफल पर टीडीएस के लिए सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करना।

- ऋणपत्रों पर ब्याज के भुगतान के लिए टीडीएस हेतु सीमा को 2,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करना और यह सीमा गैर-सूचीबद्ध ऋणपत्रों पर ब्याज के सम्बन्ध में भी लागू होगी।

VIII. कर-छूटें और लाभ

- भारत के बाहर स्रोत से विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण पर विशिष्ट कम्पनी द्वारा गैर-निवासी को किए गए ब्याज के भुगतान पर 5 प्रतिशत की रियायती कर दर।
- विशिष्ट विदेशी कम्पनियों से एक भारतीय कम्पनी द्वारा प्राप्त सकल लाभांश पर 15 प्रतिशत की कर की रियायती दर को वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राप्त लाभांश पर भी बढ़ा दिया गया है।
- धारा 115-O के अन्तर्गत लाभांश वितरण कर के कैसकेडिंग प्रभाव को बहुस्तरीय निगम संरचना में भी हटा दिया गया है।